<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

<u>प्रेस–नोट</u>

क्रमांकः एफ.7 (01) परीक्षा 'क'/प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)/2018–19/2389 दिनांकः 04.01.2019

प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 हेतु जारी विज्ञापन संख्या 10 दिनांक 13.04.2018 में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा याची अभ्यर्थियों के ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करने, भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने के अंतरिम आदेश पारित किये गये हैं।

आयोग की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.12.2018 द्वारा याची अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वैब साइट पर अपलोड करते हुए ऑनलाईन आवेदन की प्रति आयोग में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था, परन्तु कतिपय याचिकाओं के याचिकार्थियों द्वारा आज दिनांक तक अपने आनलाईन/आफलाईन आवेदन की प्रति व याचिका के निर्णय की प्रति आयोग को प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः जिन याचिकार्थियों ने ऑनलाईन/आफलाईन आवेदन की प्रति मय न्यायिक आदेश, आयोग को प्रस्तुत नहीं किये हैं, ऐसे कतिपय याचिकार्थियों की सूची मय याचिका संख्या आयोग की वेबसाइट **www.rpsc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति मय लिखित प्रार्थना पत्र (जिसमें अभ्यर्थी का पूर्ण पता व फोन नम्बर उल्लेखित हो) कोर्ट आर्डर तथा ऐसे याचिकार्थी जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन नहीं किया गया है, वे अपना ऑफलाईन विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाईट **www.rpsc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड कर आवश्यक पूर्ति करते हुए विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन शुल्क भा.पो.आ. संलग्न कर मय कोर्ट ऑर्डर के, इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने की दिनांक से 05 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से आयोग कार्यालय के कमरा नं. 32 में आवश्यक रूप से व्यक्तिशः अथवा डाक से जमा करा देवें, ताकि न्यायिक आदेशों की पालना में उनके आवेदन पत्र उक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किये जा सकें। इसके अभाव में समस्त जिम्मेदारी स्वयं याची अभ्यर्थी की होगी। उक्त भर्ती में विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(पी.सी.बेरवाल)
सचिव